IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, the 20-05 -2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge

B.P. No.- 264/2026

Chotan Mandal……..……..….Petitioner.

Vrs.

State of Bihar…….…. Respondent.

For the Petitioner : Sri Gulab Singh Advocate.
For the State : Sri Prafful kumar Jha, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	**Order with the signature of the Court**	Office action taken with date
20-05-26	अभियुक्त छोटन मंडल जो परिवाद पत्र सं0 499/22 में 323, 498(A), 504 बी0एन0एस0 के तहत दिनांक 2.02.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और प्रभारी लोक अभियोजक एवं परिवादिनी के अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है। आवेदक पर लगाया गया सारा आरोप झूठा बनावटी एवं आधारहीन है। आवेदक के माता पिता बूढे है जिन्हें सेवा की आवश्यकता है परन्तु परिवादिनी किसी भी स्थिति में सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती है। परिवादिनी जबरदस्ती बार बार मायके चली जाती है बार बार बुलाने पर भी नहीं आती है। आवेदक समय समय पर पारिवारिक भरण पोषण की राशि भेजता ता अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ रखने को तैयार है। सूचिका जबरदस्ती मायके मे रहती है और झूठा मुकदमा की है। आवेदक का पैर रोड़ एक्सिडेट में टूट जाने के कारण आवेद ससमय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। जिस कारण आवेदक के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट के उपरांत द्र0प्र0स0 की धारा 82 एवं 83 का आदेश पारित किया गया। आवेदक मजदूरी करता। आवेदक	

20-5-26	परिवादिनी के साथ कोई मारपीट नहीं किया है। आवेदक अपनी पत्नी एवं बच्चों को साथ में रखने को तैयार है। मामले को मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था जहॉ परिवादिनी की ओर से उसके पिता उपस्थित हुए और दोनों पक्षों द्वारा समझौता के अनुसार आवेदक 10,000 रू0 परिवादिनी को बच्चों के शिक्षा एवं भरण पोषण देने हेतु वचन दिया है। आवेदक 2.2.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध नहीं किया गया। उनके द्वारा कथन किया गया कि वाद में सुलह सलाह हो गया है। परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा भी इनका समर्थन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद परिवादिनी सुमन कुमारी के लिखित परिवाद पत्र पर संस्थित हुआ हैं। परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि उसकी शादी छोटन मंडल के साथ दिनांक 1.5.2015 को हुई। शादी के वक्त परिवादिनी के माता पिता ने उपहार स्वरूप चार लाख रू0 नगद, आभूषण, फर्निचर, कपड़ा , बर्तन वगैरह आदि सामान दिए। शादी के बाद वह अपने ससुराल गयी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। परिवादिनी के ससुराल से सगे संबधियों के जाने के बाद परिवादिनी के ससुराल वाले परिवादिनी के माता पिता से व्यवसाय करने के लिए पॉच लाख रू0 एवं दहेज में फ्रीज देने की मांग करने लगे। जब परिवादिनी ने इसका विरोध किया तो उसके सुसराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना परिवादिनी अपने मायके वालों को दी। इस बावत दोनों पक्षों में बातचीत हुई। परिवादिनी के ससुराल वाले आश्वासन दिए कि भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी परिवादिनी के ससुराल वाले पांच लाख रू0 एवं फ्रीज के लिए परिवादिनी को प्रताड़ित करते रहे। परिवादिनी किसी तरह अपने ससुराल में रही । इस बीच परिवादिनी ने दो बच्चों को जन्म दिया। इस क्रम में हुए इलाज का खर्च भी परिवादिनी के माता पिता ही किए यथा संभव परिवादिनी के माता पिता द्वारा अभियुक्त छोटन मंडल को करीब दो लाख रूपया भी करोबार हेतु दिया। इसके बावजूद भी 2020 में परिवादिनी के सुसराल वाले परिवादिनी को बुरी तरह मारपीट कर उसका सारा	

20-5-26	सामान छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। दिनांक 26.3.22 को परिवदिनी का पति छोटन मंडल एवं उमेश महतो परिवादिनी के मायके आए तथा परिवादिनी को जो उन लोगों ने प्रताड़ित किया था उस गलती को स्वीकार किया एक एकरारनामा तैयार करवा कर उस पर हस्ताक्षर कर उसे नोटराइज्ड करवाये तथा दिनांक 20.4.22 को परिवादिनी को अपने साथ पटना ले गए । जहां अभियुक्त छोटन मंडल टाइल्स लगवाने एवं अन्य करोबार करते हैं। संयोगवश परिवादिनी के मामा का देहान्त हो गया जिस कारण मामा के श्राद्धकर्म में भाग लेने परिवादिनी अपने पति छोटन मंडल के साथ मामा के घर पर आई । परिवादिनी के साथ पटना प्रवास के दौरान भी गाली ग्लौज एवं मारपीट किया गया। जिससे भयभीत होकर परिवादिनी अपने मायके में ही रह गयी। दिनांक 9.5.22 को परिवादिनी का दोनों भाई बरात में गए थे तथा पिताजी सीतामढ़ी कारोबार के सिलसिले में गए थे तो परिवादिनी का पति फोन पर बात किया ओर रात में करीब 12:30 बजे छोटन मंडल, भिखरी मंडल एवं उमेश मंडल अज्ञात लोगों के साथ परिवादिनी के मायके में आए परिवादिनी का घर खुलवाकर उसके साथ मारपीट किए। छोटन मंडल टेंगुरी से परिवादिनी के सर पर वार किया जिससे परिवादिनी के सर पर गहरा जख्म हुआ। परिवादिनी के मॉ ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट किया। हल्ला पर अगल बगल के लोग आ गए तो अभियुक्तगण वहॉ से भाग गए । इसकी सूचना परिवादिनी अपने पिताजी को दी। परिवादिनी के पिताजी आए ओर परिवादिनी को इलाज हेतु मेजरगंगज रेफरल अस्पताल ले गए वहीं उसका इलाज चल रहा हैं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक P.W पर जेल से न्यायालय में उपस्थित हुआ । आवेदक अपनी पत्नी एवं बच्चों को सम्मान पूर्वक रखने को तैयार हैं। परिवादिनी के अधिवक्ता एवं परिवादिनी के पिताजी भी परिवादिनी के तरफ से उपस्थित हुए। परन्तु परिवादिनी के पिता ने कथन किया कि परिवादिनी आवेदक के साथ नहीं रह सकती है। पक्षकारों के बीच reconciliation का प्रयास किया गया एवं मामले में समझौता के संभावना को देखते हुए दोनों पक्षों	

20-5-26	को सुलह वर्ता के लिए मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया। मध्यस्थता केन्द्र के रिपोर्ट के अनुसार आवेदक एवं परिवादिनी के अधिवक्ता एवं परिवादिनी के पिताजी की मोजूदगी में इस बात पर दोनों पक्षों में सहमती बनी की आवेदक प्रति माह 10,000 रू0 परिवादिनी को बच्चों के भरण पोषण के लिए देगा एवं परिवादिनी के पिता आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध नहीं करेगे। अतएव उपरोक्त तर्को, तथ्यो, परिस्थितियों, मामला धारा 323, 498(A), 504 भा0द0वि0 से संबंधित होने , जिसमें सात वर्ष से कम कारावास के दण्ड का प्रावधान होने के दिनांक 2.2.26 से काराधीन होने, के आलोक में आवेदक को मो0 10,000 रू0 (दस हजार) रूपया की समान धन राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर एवं BNSS की धारा 480 (3) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है । लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0/– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढ़ी दिनांक– 20.5.2026 Date of Judgement / Order- 20-5-2026 Date of Reserving 20-5-2026 Uploading Date- 23.05.2026 Uploaded by - पुरूषोतम कुमार	

B.P. No.- 264/2026